प्राथी ... श्री संदीप मेहता
द्वारा प्र...
दिनांक 07/05/18
अधीक्षक 7.05.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.
निगरानी - 3881/2018/नीमच/श्रे.प्रकरण क्रमांक

चांदीबाई पति मांगीलाल जी, जाति–सुतार,
धंधा–खेती, निवासी–चम्पी,
तहसील व जिला नीमच म. प्र. ------निगरानीकर्ता

विरुद्ध

चेनसिंह पिता डूगा जी दरोगा,
जाति–दरोगा, धंधा–खेती, निवासी–चम्पी
तहसील व जिला नीमच म. प्र. -----प्रत्यर्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदरणीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, नीमच के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 56/अ–12/17–18 में पारीत आदेश दिनांक 14–3–2018 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

4477
7/5/18

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता कि ओर से निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि:–

1 यह कि निगरानीकर्ता मौजा ग्राम जमुनिया खुर्द तहसील व जिला नीमच की भूमि सर्वे क्रमांक 378 रकबा 1.150 हैक्टर की भूमि स्वामी एव आधिपत्यधारी है।

2. यह कि प्रत्यर्थी मौजा ग्राम जमुनिया खुर्द तहसील व जिला नीमच की भूमि सर्वे क्रमांक 380 पेकी रकबा 1.42 हैक्टर का भूमि स्वामी एव आधिपत्यधारी है।

3. यह कि प्रत्यर्थी ने अपनी उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 380 पेकी रकबा 1.42 हैक्टर का सीमाकंन किये जाने का निवेदन अधिनस्त न्यायालय से किया गया जिस पर से अधिनस्त न्यायालय ने प्रकरण संख्या 56/अ–12/17–18 पर मामला दर्ज करवा कर सीमांकन करवाया तथा सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 14–3–2018 को आलोच्य आदेश पारीत किया जिससें असंतुष्ट होकर वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

4. निगरानीकर्ता को आलोच्य आदेश दिनांक 14–3–2018 की जानकारी दिनांक 15–3–2018 को प्राप्त हुई तब आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16–3–2018 को प्राप्त की निगरानी के अन्तर्गत आलोच्य आदेश कि प्रतिलिपि प्राप्त होने एवं जानकारी दिनांक से नियत समय सीमा में वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्र आलोच्य आदेश से असतुष्ट एवं दुःखी होकर निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है:–

निरन्तर..............2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3881/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	